Helpline 1064   94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **अलवर में सरपंच पति (प्राईवेट व्यक्ति) 20 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**

- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *06 अप्रेल, बुधवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर प्रथम इकाई द्वारा आज बहरोड़, अलवर में कार्यवाही करते हुये कृष्ण कुमार मीणा सरपंच पति (प्राईवेट व्यक्ति) को सरपंच ग्राम पंचायत बसई, तहसील बहरोड़, अलवर को परिवादी से **20 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर नगर प्रथम इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि आवासीय मकान का पट्टा जारी करने की एवज में कृष्ण कुमार मीणा सरपंच पति (प्राईवेट व्यक्ति) को सरपंच ग्राम पंचायत बसई, तहसील बहरोड़, अलवर द्वारा **20 हजार रूपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर के **उपमहानिरीक्षक श्री विष्णुकान्त** के सुपरवीजन में एसीबी जयपुर नगर प्रथम इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आलोक शर्मा** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर **उप अधीक्षक पुलिस श्री नीरज गुरनानी, टीएलओ पुलिस निरीक्षक श्री श्रवण कुमार** एवं उनकी टीम द्वारा आज बहरोड़, अलवर में ट्रेप कार्यवाही करते हुए कृष्ण कुमार मीणा पुत्र श्री बुधराम मीणा निवासी ग्राम बसई, तहसील बहरोड़, थाना नीमराणा, जिला अलवर हाल सरपंच पति (प्राईवेट व्यक्ति) को सरपंच ग्राम पंचायत बसई, तहसील बहरोड़, अलवर को परिवादी से **20 हजार रूपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।